HUMAN RIGHTS WATCH

नियंत्रण के बाहर

भारत में खनन, विनियामक विफलता और मानवाधिकार

जून 14, 2012

Copyright © 2012 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America

Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all.

Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich.

For more information, please visit our website: http://www.hrw.org

HUMAN RIGHTS WATCH

नियंत्रण के बाहर
भारत में खनन, विनियामक विफलता और मानवाधिकार
जून 14, 2012

सारांश

भारत का खनन उद्योग निरंतर रूप से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और यह व्यापक आर्थिक विकास में योगदान करता है। लेकिन उचित तरीके से नियंत्रित न होने पर खनन असामान्य हानिकारक और विनाशकारी भी हो सकता है—जैसा कि विश्व भर के दुरुपयोगों और आपदाओं की लंबी सूची से पता चलता है। और खराब नीतियों, कमज़ोर संस्थाओं एवं भ्रष्टाचार के खतरनाक मेल के कारण, सरकार द्वारा भारतीय खनन उद्योग का निरीक्षण और विनियमन व्यापक रूप से निष्प्रभावी रहा है। परिणाम अव्यवस्थित है।

भारत के खनन उद्योग में जारी अराजकता को समझ पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर "अवैध खनन" सहित अनगिनत समस्याएं हैं। सामान्य शब्दों में, इससे ऐसे मामलों का पता चलता है, जिनमें संचालक उन संसाधनों का लाभ उठाते हैं, जिनके दोहन का उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकारी आंकड़े से पता चलता है कि केवल वर्ष 2010 में ही अवैध खनन के 82,000 मामले सामने आए थे—जो देश के प्रत्येक वैध खनन संचालन के लिए 30 आपराधिक मामलों की वार्षिक दर थी। लेकिन यह रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि वैध खनन संचालकों द्वारा भी कानून का अनुपालन और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने वाले प्रमुख विनियामक तंत्र की विफलता कहीं अधिक बड़ी समस्या है।

यह पता लगाने के लिए उद्योग के श्रेष्ठ अभ्यास संबंधी वैश्विक मानकों का विकास किया गया है कि खनन संचालकों द्वारा सावधानी और सतर्कता बरते जाने तक, आसपास के समुदायों पर सीधे हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत और विश्व भर में, अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी

सरकारी विनियम के बिना, सभी कंपनियाँ उत्तरदायी तरीके से व्यवहार नहीं करतीं। ऐसा करने का पूरा प्रयास करने वाली कंपनियाँ भी अक्सर उचित सरकारी निरीक्षण के बिना विफल हो जाती हैं।

यह रिपोर्ट विशेष कंपनियों या सुर्खियों में आने वाली "बड़ी-परियोजनाओं" की लक्षित छानबीन नहीं है। इसके बजाय, यह खनन फ़र्म के निरीक्षण और नियंत्रण में भारतीय सार्वजनिक संस्थाओं की व्यापक विफलता के तरीके और उसके कारण का वर्णन करने के साथ ही इनमें से कुछ विनियामक विफलताओं को मानवाधिकार संबंधी उन समस्याओं से जोड़ती है, जो खनन समुदायों को प्रभावित करती हैं। इस रिपोर्ट में गोवा और कर्नाटक के लौह खनन के गहराईपूर्ण मामला अध्ययनों का उपयोग करके विफल विनियमन, कथित भ्रष्टाचार और सामुदायिक नुकसान के व्यापक प्रतिमानों को दिखाया गया है। यह सरकारी विनियामकों की स्वीकृति से संचालित खदानों द्वारा पूरी आजादी से कानून के उल्लंघन का तरीका भी दिखाती है। अंत में, यह ऐसे व्यावहारिक, सरल सुझाव प्रदान करती है, जिसकी सहायता से भारत सरकार इन समस्याओं का समाधान कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य करते हैं, कि वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का खनन फ़र्म और अन्य कंपनियों द्वारा दुरुपयोग न होने दे। भारत में कानून पुस्तकों में मौजूद हैं, जो ऐसा करने के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ को इतने गलत तरीके से तैयार किया गए है, कि वे विफल होने के लिए ही बनाए गए प्रतीत होते हैं। अन्य कानून बेकार तरीके से लागू और प्रवर्तित किए जाने या निर्वाचित अधिकारियों अथवा सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच मौजूद भ्रष्टाचार होने के कारण व्यापक रूप से निष्प्रभावी साबित हुए हैं। परिणामस्वरूप सरकार के प्रमुख निरीक्षक केवल मूक-दर्शक बने हुए हैं, जबकि नियंत्रण-के-बाहर वाले खनन संचालनों के कारण संपूर्ण समुदायों के स्वास्थ्य, जीविका और वातावरण को नुकसान पहुँच रहा है। कुछ मामलों में, सार्वजनिक संस्थाओं को भी ऐसे व्यापक राजस्व का चूना लगाया गया है, जिसकी सहायता से सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं जैसे प्रावधानों को बेहतर बनाया जा सकता था।

ह्यूमन राइट वॉच द्वारा भ्रमण किए गए गोवा और कर्नाटक राज्यों के लौह खनन क्षेत्रों के निवासियों ने आरोप लगाया कि लापरवाही पूर्ण खनन संचालनों के कारण वे जल स्रोत नष्ट या दूषित हो गए हैं, जिन पर वे पीने के पानी और सिंचाई के लिए निर्भर थे। कुछ मामलों में, खनन कर्मियों ने जल स्रोतों और नदियों के किनारों पर बेकार चट्टानों और खदान के अन्य अपशिष्टों को

जमा कर दिया है, जो बारिश के दौरान बह कर स्थानीय जलापूर्ति संसाधनों अथवा कृषि योग्य मैदानों में चला जाता है। इससे जल स्रोतों के असुरक्षित होने के साथ ही कृषि योग्य भूमि की उर्वरता में भी कमी आ सकती है। किसी भी नुकसान को दूर करने के बजाय, कुछ खदान संचालक स्थानीय जल तालिका को नुकसान पहुँचा कर उससे निकलने वाले तेज़ जल प्रवाह को खुला छोड़ देते हैं—जिससे वह संसाधन स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, जिस पर पूरा समुदाय निर्भर करता है।

ह्यूमन राइट वॉच द्वारा भ्रमण किए गए कुछ समुदायों में, कृषकों की शिकायत थी कि गांव की पतली सड़क पर अयस्कों से भरे ट्रकों के निरंतर आवागमन के कारण फसलों पर धातु-युक्त धूल की एक परत जम जाती है, जिस कारण फसल नष्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। कुछ क्षेत्रों में, ह्यूमन राइट वॉच ने कई किलोमीटर तक स्वयं देखा कि पूरी तरह से भरे हुए खदान के ट्रक पतली, टूटी हुई सड़कों पर गुज़रने के साथ ही अपने पीछे धूल का बड़ा गुबार छोड़ते जा रहे थे। कुछ निवासियों ने अपने घरों और स्थानीय विद्यालय भवनों पर चढ़ी उस धातु-युक्त धूल की परत दिखाते हुए उन गंभीर श्वास संबंधी बीमारियों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों के प्रति चिंता जताई, जिन्हें वैज्ञानिक अध्ययनों ने खदान-संबंधी प्रदूषण के संपर्क में आने से जुड़ा हुआ साबित किया है। इनमें से कुछ समुदायों के लोगों को, इन समस्याओं के बारे में अपनी बात रखने के कारण धमकियों या हिंसा का सामना भी करना पड़ा है। इन सभी आरोपों में देश के अनेक भागों में चल रहे खनन संचालनों से संबंधित सामान्य शिकायतों की गूंज सुनाई देती है।

भारत की कुछ खनन संबंधी परेशानियों ने भ्रष्टाचार या अन्य अपराधिक गतिविधियों में अपने जड़े जमा रखी हैं। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट से पता चलता है कि किस प्रकार खनन माफिया जनार्दन रेड्डी (Janardhana Reddy) ने कथित रूप से कर्नाटक राज्य सरकार में अपने मंत्री पद का उपयोग करके खनन संचालकों से भारी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त किया—अपनी योजना के अंतर्गत उन्होंने सरकारी विनियामकों का उपयोग करके। साक्ष्यों से पता चलता है कि केवल कर्नाटक में ही सरकारी एजेंसियों को अरबों रुपए (लाखों डॉलर) का चूना लगाया गया हो सकता है—जिस कारण राज्य सरकार को उस राजस्व का नुकसान हुआ जिसे राज्य की दारुण स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक प्रणालियों में उपयोग किया जा सकता था।

ह्यूमन राइट वॉच का मानना है कि भारत के खनन-संबंधी भ्रष्टाचार के घोटाले जितने सनसनीखेज रहे हैं, उसके पीछे सरकार की उदासीनता अधिक बड़ा कारण है। कर्नाटक में भी, राज्य के खनन

उद्योग में आपराधिक गतिविधियों को पैर जमाने में निष्प्रभावी विनियमन की प्रमुख भूमिका रही है। और इस रिपोर्ट में वर्णित अनेक कथित मानवाधिकार दुरुपयोग भ्रष्टाचार या आपराधिक गतिविधियों के कारण नहीं, बल्कि खनन संचालनों के मानवाधिकार संबंधी प्रभावों की निगरानी में सरकार की पूर्ण विफलता और पूरी ज़िम्मेदारी पुलिस पर थोप देने के कारण हुए। अनेक सार्वजनिक अधिकारियों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे नहीं जानते कि यह कैसे चल रहा है और यह कितनी गंभीर समस्या है। दरअसल, भारत सरकार अक्सर कंपनियों को स्वयं अपना नियंत्रण करने के लिए छोड़ देती है—यह एक ऐसा सूत्र है, जो हमेशा ही भारत और पूरे विश्व में विनाशकारी साबित हुआ है।

कुछ मामलों में, नुकसान झेलने वाले समुदायों को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि आसपास के खनन संचालनों का वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा या भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतरीन दस्तावेज़ीकरण किया गया। लेकिन अनेक मामलों में, कथित नुकसानों या खनन संचालनों से उनके जुड़ाव की बात की पुष्टि अथवा उसका खंडन करने के लिए डेटा मौजूद नहीं होता। कुछ सामुदायिक कार्यकर्ता गलत तरीके से भी नज़दीकी खनन संचालनों पर स्वास्थ्य या पर्यावरण संबंधी समस्याओं का दोषारोपण कर सकते हैं। अन्य शायद उस जुड़ाव को नहीं समझ पाते, जो वास्तव में मौजूद है। यह पूरी अनिश्चितता इस समस्या का हिस्सा है— बहुत सारे मामलों में, सरकारी विनियामक इस बात का पता नहीं लगा पाते कि कंपनियाँ कानूनी या उत्तरदायी तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, अथवा उनके कारण आसपास के निवासियों को नुकसान हो रहा है या नहीं।

भारत के छोटे-से राज्य गोवा में ये सभी समस्याएँ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद राज्य सरकार के विनियामक स्वीकार करते हैं कि उन्हें वाकई यह जानकारी नहीं है कि अलग-अलग खनन फ़र्म कानून का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं और साक्ष्यों से पता चलता है कि अनेक फ़र्म कानून का पालन नहीं करते। कार्यकर्ताओं के साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री भी व्यापक अवैध कार्यों का आरोप लगाते हैं और, हैरानी की बात यह है कि, स्थानीय खनन उद्योग के अधिकारी भी ऐसे आरोपों को नहीं नकारते। ह्यूमन राइट वॉच द्वारा साक्षात्कार किए गए एक कंपनी के अधिकारी ने सरकार के खनन उद्योग में "अराजकता और भ्रष्टाचार" तथा "प्रशासन की पूर्ण कमी" के बारे में खुल कर कहा। गोवा खनन उद्योग के एक प्रवक्ता के अनुमान के अनुसार राज्य के लगभग आधे खनन संचालन द्वारा विभिन्न कानूनों और विनियमनों का उल्लंघन किया जाता है।

गोवा की समस्याएँ खनन उद्योग में प्रशासन की राष्ट्रव्यापी विफलताएँ दिखाती है। आरंभिक स्वीकृति से लेकर जारी निरीक्षण तक, भारत के खनन उद्योग के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए मौजूद प्रक्रिया सामान्यतः काम नहीं करती ।

मानवाधिकारों और प्रभावित समुदायों की जीविका पर नए प्रस्तावित खदान के संभावित प्रभावों के विश्लेषण के उद्देश्य से तैयार किया गया एकमात्र तंत्र पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया है, जो सामान्यतः केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इसके नाम के बावजूद, पर्यावरण स्वीकृति प्रशासन को केवल पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों और उनके अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त बनाया गया है। लेकिन निराशाजनक रूप से, यह प्रक्रिया निष्क्रिय है।

अक्सर, स्वीकृतियाँ पूर्ण रूप से उन पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर प्रदान या अस्वीकार की जाती हैं, जो खनन कार्य की अनुमति मांगने वाली कंपनियों द्वारा तैयार की जाती हैं और उसके लिए उन्हें भुगतान भी प्राप्त होता है। डिज़ाइन के आधार पर, यह रिपोर्ट मानवाधिकारों और अन्य सामुदायिक प्रभावों पर संक्षिप्त ध्यान देते हुए पूर्ण रूप से पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर ध्यान देती है। अनेक में प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए खनन फ़र्म के उत्तरदायित्वों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता। कुछ कंपनियाँ रिपोर्ट में मौजूद अनिवार्य जन-परामर्श को प्रभावित समुदायों की महत्वपूर्ण सुरक्षा समझने के बजाय एक परेशान करने वाली बाधा समझती हैं।

इससे भी खराब स्थिति यह है कि, ये महत्वपूर्ण EIA रिपोर्ट अक्सर बहुत हद तक गलत होती हैं, उसमे जानबूझ कर गलत तथ्य डाले जाते हैं अथवा उनमें दोनों ही बातें होती हैं। कुछ मामलों में, रिपोर्ट में गलत तरीके से बताई जाती है कि संभावित विनियामक चिंता वाली चीज़— नदियों या जल स्रोतों की मौजूदगी उदाहरण के लिए —मौजूद ही नहीं है। कभी-कभी लेखक महत्वपूर्ण निष्कर्षों को बस किसी एक रिपोर्ट से कॉपी करके दूसरी रिपोर्ट में डाल देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि विनियामक अक्सर उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। इस प्रक्रिया के एक बहुत ही कुख्यात उदाहरण के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य की एक खदान को उस स्थिति में भी काम जारी रखने की स्वीकृति मिल गई, जब उसकी EIA रिपोर्ट में रूस की एक बॉक्साइट खदान के लिए बनाई गई एक ऐसी ही रिपोर्ट से भारी मात्रा में डेटा हूबहू शामिल कर लिए गए थे। इस घोर

जालसाज़ी का पता लगाने में अधिकारियों की विफलता सार्थक सरकारी निरीक्षण की व्यापक कमी का एक उदाहरण है।

इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस ढांचे के अंतर्गत, खनन परियोजनाओं को अक्सर पर्यावरणीय स्वीकृति आसानी से मिल जाती है। और किसी खदान का संचालन शुरू होने के बाद, उसे उन स्वीकृतियों की शर्तों के वास्तविक अनुपालन के मामले में शिथिल सरकारी निरीक्षण का लाभ मिलता रहता है। पूरे भारत में केवल कुछ ही दर्जन अधिकारियों पर पूरे देश की हजारों खदानों और अन्य परियोजनाओं की निगरानी का उत्तरदायित्व है और उन्हें ऐसे किसी भी स्थान पर जाने का अवसर शायद ही कभी मिल पाता है। इसके बजाय, वे लगभग पूरी तरह खनन कंपनियों द्वारा स्वयं प्रदान की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर निर्भर रहते हैं।

इस रिपोर्ट में भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इसका कारण यह नहीं है कि इसकी विफलताएँ खनन उद्योग के उत्तरदायित्व वाले अन्य सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि इसके प्रयासों की सफलता खनन उद्योग की मानवाधिकार समस्याओं को दूर करने की उम्मीद के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यूमन राइट वॉच का मानना है कि खनन-प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल सबसे अधिक आशाजनक और ठोस कदमों के रूप में केंद्र सरकार पर्यावरण स्वीकृति प्रशासन और मंत्रालय से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को सुधारने जैसे कदम उठा सकती है।

साथ ही, भारत के खनन उद्योग में मौजूद अव्यवस्था के गहरे राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं। 2011 में, खनन उद्योग के भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के संबंध में जड़ें जमा चुके घोटालों का सार्वजनिक रहस्योद्घाटन होने के बाद कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों की सरकारें गिर गईं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दबाव में आकर इस्तीफ़ा देना पड़ा और देर से की गई सरकारी कार्यवाही के तहत राज्य के खनन उद्योग में से अधिकांश को, भारी आर्थिक नुकसान के साथ, प्रभावी तरीके से बंद कर दिया गया। मार्च 2012 में, गोवा राज्य सरकार को चुनाव में जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसका एक कारण राज्य के खनन उद्योग में लगातार बढ़ रहे घोटालों के प्रति जनता का गुस्सा भी था।

भारत की केंद्र सरकार को किसी प्रलोभन में आकर गोवा और कर्नाटक की समस्या को किसी अलग मुद्दे की तरह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों राज्यों की खनन असफलता पूरे देश की समस्याएँ दिखाती है, जिसका सही तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। उस बिंदु पर ध्यान देते हुए, 2012 की शुरुआत के दौरान झारखंड और उड़ीसा राज्यों के खनन उद्योग की संभावित विस्फोटक जाँच जारी थी।

वास्तव में, भारतीय खनन उद्योग में मौजूद अव्यवस्था की कुछ जड़ें भ्रष्टाचार के अधिक व्यापक प्रतिमानों और खराब प्रशासन में जमी हुई हैं, जिनका आसानी से समाधान नहीं होता। फिर भी, भारत सरकार कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम उठा सकती है, जिससे सर्वाधिक प्रत्यक्ष विनियामक विफलताओं को दूर किया जा सके। प्रशासन में व्यापक सुधारों की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद रहेंगी, लेकिन इस रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों की सहायता से दृढ़ संकल्प वाले विनियमकों को अपना कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त उपकरण मिलेगा और वे दुरुपयोग करने वाली कंपनियों के लिए जाँच से बचना मुश्किल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तावित उपायों का प्रभाव खनन उद्योग से आगे भी होगा क्योंकि कुछ ऐसे ही अनुपयोगी संस्थान संभावित रूप से हानिकारक अन्य उद्योगों का नियंत्रण और निरीक्षण भी करते हैं। इस लेखन में भारतीय संसद एक ऐसे नए प्रस्तावित खनन कानून पर विचार कर रही थी, जो कुछ मामलों में व्यापक रूप से प्रगतिशील हो—लेकिन उस कानून में, इस रिपोर्ट में वर्णित मूल समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं किया गया।

सरकार को प्रस्तावित नई खनन परियोजनाओं पर विचार करने की प्रक्रिया को नाटकीय रूप से सुधार कर सुनिश्चित करना होगा कि उसमें संभावित मानवाधिकारों और अन्य सामुदायिक प्रभावों पर व्यापक और विश्वसनीय रूप से विचार किया गया है। यानी पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में मानवाधिकारों पर व्यापक और अधिक ध्यान देना अनिवार्य बनाना। इसका मतलब पर्याप्त संख्या में ऐसे विनियामकों की उपलब्धता भी है, जो उपयुक्त होने पर कार्यस्थल का दौरा करने के साथ ही नए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अधिक समय निकालें और उन पर पूरा ध्यान दें। सरकार को ऐसी प्रथा भी समाप्त करनी होगी, जिसके तहत कंपनियाँ अपनी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट बनाने के लिए स्वयं परामर्शदाताओं को चुनती और भुगतान करती हैं—इस कारण हित का स्पष्ट

अंतर्विरोध यह उत्पन्न होता है कि बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकार के हाल के प्रयास पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते ।

सरकार के लिए यह आकलन करना भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान, खेदजनक रूप से अपर्याप्त प्रशासन के अंतर्गत पहले से कितना नुकसान हो चुका है । ह्यूमन राइट वॉच देश में मौजूद सभी खदानों की स्वीकृतियों की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के व्यापक अध्ययन का सुझाव देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी खदानों ने स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या धोखाधड़ी वाला डेटा प्रदान किया है । 2011 के उत्तरार्द्ध में, गोवा राज्य सरकार ने ऐसा करने के एक स्वतंत्र प्रयास को प्रायोजित करने में सहायता की; यदि यह सफल रहा, तो यह अन्य राज्यों तथा केंद्र सरकार के लिए एक आदर्श साबित हो सकता है । जहाँ भी EIA डेटा में जानबूझ कर की गई जालसाज़ी का पता चले, वहाँ उसके लिए उत्तरदायी लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए । ठोस रूप से महत्वपूर्ण त्रुटियाँ मिलने वाले सभी मामलों में, खनन संचालनों को तब तक के लिए रोक देना चाहिए, जब तक नया आकलन पूरा न हो जाए ।

ह्यूमन राइट वॉच केंद्र सरकार से मौजूदा खदानों के मानवाधिकारों और पर्यावरणीय प्रभावों के निरीक्षण की प्रणाली को सुधारने का आग्रह भी करता है । विशेष रूप से, खदानों और अन्य परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृतियों की शर्तों के अनुपालन की सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की क्षमता और अधिकार को नाटकीय रूप से सुधारा जाना चाहिए ।

राज्य स्तर पर, खनन क्षेत्रों की सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभागों सहित उन प्रमुख संस्थानों के आदेशों तथा क्षमता को सशक्त बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, जो अक्सर खनन उद्योग के प्रभावी निरीक्षण में योगदान करने में विफल रहे हैं । उन्हें सशक्त और प्रभावी लोकायुक्त (भ्रष्टाचार-रोधी लोकपाल) संस्थानों की स्थापना, या उनके पास पहले से मौजूद संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए भी कार्य करना चाहिए । जहाँ भी इनमें से किसी या सभी संस्थानों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो, सरकार को खनन उद्योग से अर्जित राजस्व का एक हिस्सा उस उद्देश्य के लिए निर्धारित कर देना चाहिए ।

प्रमुख अनुशंसाएँ

भारत सरकार के लिए प्रमुख अनुशंसाएँ इस रिपोर्ट के अंत में, "दुरुपयोग की रोकथाम: भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदम" शीर्षक वाले अनुभाग में अधिक विस्तार से बताई गई हैं।

भारत सरकार के लिए:

- सुनिश्चित करें कि विनियामक अधिकारी मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया द्वारा, या विशेष रूप से मानवाधिकार प्रभावों पर केंद्रित नई आकलन प्रक्रिया द्वारा प्रस्तावित नई खदानों के संभावित मानवाधिकारों और अन्य सामुदायिक प्रभावों पर ध्यान दें।
- कंपनियों द्वारा अपनी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट बनाने के लिए स्वयं परामर्शदाताओं के चुनाव और भुगतान की प्रथा को समाप्त करें। आकलन के लिए धन का भुगतान, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत एक सामान्य धनराशि के माध्यम से खनन फ़र्म द्वारा किया जा सकता है।
- बार-बार प्रस्तावित नई खनन परियोजना के कार्यस्थल का दौरा करने सहित, उसके संभावित नकारात्मक प्रभावों की एक अधिक व्यापक समीक्षा निष्पादित करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों को सशक्त बनाएँ। इसके लिए व्यापक रूप से अतिरिक्त कर्मचारियों और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी और परियोजनाओं पर विचार तथा स्वीकृति की दर में कमी आएगी।
- किसी नई परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिय के लिए आवश्यक किसी भी अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श के परिणामों पर एक अधिक व्यापक और विस्तृत विवेचना की आवश्यकता वाले नियम बनाएँ।
- उन खनन कंपनियों और परामर्शदाताओं पर आवश्यकता होने पर आपराधिक मुकदमे सहित पूर्ण प्रतिबंध लगाएँ, जिनकी पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में ठोस रूप से झूठा या लापरवाही-पूर्ण गलत महत्वपूर्ण डेटा मौजूद है।
- यह पता लगाने के लिए सभी मौजूदा खदानों की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा आरंभ करें कि उनमें से कितनी खदानें व्यापक रूप से झूठे या भ्रामक डेटा पर आधारित हैं। जिन खनन संचालनों की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में ठोस रूप से

झूठा महत्वपूर्ण डेटा पाया जाता है, उन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया जाए, उनके संचालकों पर स्वीकृति के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता लागू की जाए और इस मामले में उत्तरदायी लोगों पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए।

- पर्यावरण और वन मंत्रालय को मौजूदा खनन परियोजनाओं की अधिक व्यापक और सक्रिय निगरानी तथा निरीक्षण के लिए सशक्त तथा निर्देशित करने के साथ ही इस भूमिका को प्रभावी तरीके से निषादित करने के लिए कर्मचारी और अन्य आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए जाएँ।
- यह सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगाएँ कि संस्थान पर्यावरण प्रभाव आकलन निष्पादित करने के लिए मान्यता-प्राप्त हैं, और वे मानवाधिकार सिद्धांतों और खनन क्षेत्र के मानवाधिकार प्रभावों के वैश्विक श्रेष्ठ व्यवहार के मामले में अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी हैं।

भारत की राज्य सरकारों के लिए:

- यह सुनिश्चित करते हुए नए लोकायुक्त संस्थानों के निर्माण पर विचार करें या पहले से मौजूद कार्यालयों को सशक्त बनाएँ कि वे कर्नाटक राज्य के संस्थागत मॉडल के अनुसार पर्याप्त स्वतंत्रता, संसाधनों और मानव क्षमता का उपयोग कर सकें।
- खदान मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित प्रमुख राज्य-स्तरीय विनियामक संस्थानों को सशक्त बना कर सुनिश्चित करें कि वे खनन संचालनों के ठोस निरीक्षण में योगदान करने में सक्षम हैं। संसाधन या क्षमता-निर्माण की आवश्यकता वाली सीमा तक, खनन गतिविधियों से अर्जित राज्य सरकार के राजस्व का कुछ हिस्सा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करें।

स्वास्थ्य का अधिकार और पीने के सुरक्षित पानी तथा स्वच्छता का अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के लिए:

- स्वास्थ्य और जल के लिए भारतीय लोगों के अधिकार के संबंध में खनन उद्योग के अपर्याप्त सरकारी नियंत्रण के प्रभाव के और मूल्यांकन के लिए भारत आने का अनुरोध।